



कार्यालय अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद् कोटा, (राजस्थान) सीएडी सर्किल- 324009
फोन.नं.0744-2503588, E-mail: po.nrega.kota@gmail.com

क्रमांक : महानरेगा/सा. अंके.प्रशि./2014/

दिनांक :

विज्ञापित

शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के पत्र क्रमांक एफ.61(24)ग्रावि./नि.सा.अ./15-16/ई-73147 जयपुर दिनांक 10.6.2015 के निर्देशानुसार जिले की सभी (155) ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तथा इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक के पूर्ण/अपूर्ण व प्रगतिरत समस्त कार्यों एवं रिकॉर्डों के सामाजिक अंकेक्षण कार्य हेतु ग्राम सभाओं की क्षमता निर्माण प्रयोजन के लिए प्राथमिक पणधारियों और अन्य सिविल सोसायटी संगठनों से जनता के अधिकार के लिए कार्य करने का ज्ञान और अनुभव रखने वाले से प्रत्येक पंचायत स्तर एवं ग्राम पंचायत पर अंशकालीन कार्य कारवाने हेतु पूर्णतः जॉब आउट सोर्सिंग बेसिस पर निर्धारित पारिश्रमिक क्रमशः 325 एवं 225 रुपये प्रतिदिवस पर सामाजिक अंकेक्षण कार्य कराये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

1. ब्लॉक संसाधन व्यक्ति :-

(अ)शैक्षणिक योग्यता :-कम से कम स्नातक या समकक्ष परीक्षा पास।

(ब) अनुभव एवं सदस्यता :- प्राथमिक पणधारियों और अन्य सिविल सोसायटी संगठनों (जैसे- भूतपूर्व सैनिक कल्याण सोसायटी, पेन्शनर्स वेलफेयर सोसायटी एवं अन्य संगठन) ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाना है जो जनता के अधिकारों के लिए कार्य करने का ज्ञान और अनुभव रखते हैं। सेवा निवृत्त केन्द्र, राज्य, बैंक कर्मचारी के अतिरिक्त अन्य सिविल सोसायटी संगठनों के सदस्यों के लिए 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक हो।

2. ग्राम संसाधन व्यक्ति :-

(अ)शैक्षणिक योग्यता :-कम से कम माध्यमिक परीक्षा पास (बारहवीं पास या स्नातक को वरीयता)।

(ब) अनुभव एवं सदस्यता :- प्राथमिक पणधारियों और अन्य सिविल सोसायटी संगठनों (जैसे- भूतपूर्व सैनिक कल्याण सोसायटी, पेन्शनर्स वेलफेयर सोसायटी एवं अन्य संगठन) से ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाना है जो जनता के अधिकारों के लिए कार्य करने का ज्ञान और अनुभव रखते हैं।

3. आयु :- 21 से 65 वर्ष

4. ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के आवेदन पत्र जिले के प्रत्येक ब्लॉक पर एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों के आवेदन पत्र प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर से प्राप्त कर किये जा कर संबंधित पंचायत समिति जहाँ कार्य करने के इच्छुक हो जमा करवाये जा सकते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि जिस ग्राम पंचायत में ब्लॉक संसाधन व्यक्ति एवं ग्राम संसाधन व्यक्ति सामाजिक अंकेक्षण कार्य के लिए जायेगा उनमें से कोई भी उस पंचायत का निवासी नहीं होना चाहिए।

उक्त संबंध में पात्रता कार्य जॉब आउट सोर्सिंग बेसिस पर करवाने का विवरण विभागीय वेबसाइट (www.kota.nic.in) से/जिला परिषद्/पंचायत समिति कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। प्रस्ताव (offer) निर्धारित प्रपत्र में जिस पंचायत के लिए आवेदन किया गया है उस से संबंधित पंचायत समिति कार्यालय को दिनांक 25.06.2015 को सांय 6.00 बजे तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर दिये जावे इसके पश्चात प्राप्त प्रस्तावों (offer) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद्, कोटा

दिनांक : 17/6/15

क्रमांक :

प्रतिलिपि :- 1303-12

1. श्रीमान् शासन सचिव, शासन सचिवालय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. श्रीमान् जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर, कोटा।
3. परियोजना अधिकारी (लेखा) जिला परिषद्, कोटा।
4. जिला सूचना अधिकारी, एन.आई.सी कोटा को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञापित के आवेदन पत्र वेबसाइट पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करें।
5. सम्पादक, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर कोटा को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञापित डी.पी.आर. द्वारा अनुमोदित दर पर न्यूनतम स्पेस पर जिला संस्करण में प्रकाशित कर बिल दो प्रतियों में भिजवायें।
6. स्टोर कीपर कार्यालय हाजा।

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद्, कोटा